न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 11/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/66

अपीलाण्ट :–
ईलू भाई पुत्र श्री ईस्माईलखां, जाति कायमखानी मुसलमान, निवासी ग्राम खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार पाली जिला पाली
2. तहसीलदार, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमाराम मीणा
सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **26.05.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली के प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री वीरमाराम मीणा वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर आराजी खसरा संख्या 1226/7 रकबा 0.0250 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मौजा ग्राम खैरवा।, तहसील पाली में स्थित है जिस पर अपीलाण्ट अपने पूर्वजों के समय से अपने परिवार सहित निवास करता है। जैर आराजी का ग्राम पंचायत खैरवा पट्टा मिसल संख्या 86, पट्टा संख्या 4283 दिनांक 20.05.2013 का बना हुआ है जिस पट्टे को उप पंजीयन, पाली से दिनांक 08.01.2014 को पंजीकृत करवाया हुआ है। अपीलाण्ट को उक्त आवासीय भू–खण्ड पर अतिक्रमी मानकर जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किये गया है वह बिना सीमांकन किया गया है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश की कोई विधिकता नहीं होने से काबिले खारिज है। जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य बाबत् पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया, जिससे भी उक्त आदेश काबिले खारिज है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश कूटरचित, फर्जी व अविधिक होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2003 (2) page no 1303 न्यायिक नजीर प्रस्तुत की।

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई व जवाब का अवसर दिया गया है व जैर आदेश पूर्णतया नियमानुसार ही जारी किया गया है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील सारहीन बलहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि नायब तहसीलदार पाली द्वारा खसरा संख्या 1226/7 रकबा 0.025 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का अतिक्रमी अपीलाण्ट को मानते हुए जहां उसने पक्की दीवार बना रखी है उस पर बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि उसे पट्टाशुदा किस्म बारानी दोयम भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखली का जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उससे रूष्ट होकर जैर अपील, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की है।

प्रकरण में उभयपक्षों की समायतशुदा बहस व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जैर आराजी का कुल रकबा 0.0250 हैक्टेयर है तथा अपीलार्थी का अतिक्रमण है तथा उसका भी उसके पास पंचायत द्वारा जारी किया हुआ पट्टा है। अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान ने न्यायिक नजीर RRT 2003 (2) page no 1303 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 – सरकारी भूमि पर अतिक्रमण – ग्राम पंचायत ने विवादित भूमि पट्टे पर दी और प्राधिकृत अधिकारी ने इसकी पुष्टि की – राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह वन भूमि है – वन विभाग के नाम प्रविष्टि नहीं – प्रार्थी को अतिक्रमी नहीं ठहराया जा सकता तथा धारा 91 की अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करना न्यायसंगत नहीं एवं आदेश यथावत रखा परंन्तु जैर प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी स्वयं द्वारा पेश किये गये नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि जैर आराजी आबादी भूमि में स्थित नहीं होकर आबादी भूमि के पास स्थित है एवं ग्राम पंचायत की रिपोर्ट दिनांक 26.06.2024 से भी स्पष्ट है कि जैर आराजी पर पट्टे वर्तमान में स्वामित्व योजना के दौरान किये गये आबादी सीमांकन के अनुसार ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से बाहर है। जिससे सुस्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में उक्त नजीर चस्पा नहीं होती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का एक अन्य उज्र कि उसे जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई व साक्ष्य बाबत् पर्याप्त अवसर नहीं दिये गये परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध अीधनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.10.2023 को प्रस्तुत हो गये थे एवं जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2024 को पारित किया गया। जिससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य बाबत् पर्याप्त अवसर दिये गये थे। हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर आराजी के सीमांकन बाबत् कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया हो बाबत् भी पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

समग्रतः उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। लिहाजा अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **26.05.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली